(3) To attach additional bogies on 59/60 Shoranur-Calicut passenger and ensure proper maintenance of lights and fans.

(3) Running of these trains with the full complement of 8 coaches and proper maintenance of lights and fans will be ensured.

(4) To give later start of No. 62 passenger Ex. Calicut from 12·15 hrs. to 13·00 hrs.

(4) Later start of this train at 13·00 hrs. Ex. Calicut will cause inconvenience to the present users on Shoranur-Coimbatore section and hence it is not desirable.

(5) To restore trains cancelled due to shortage of coal on Shoranur-Calicut section.

(5) No. 63 Shoranur-Coimbatore passenger and No. 66 Cannanore-Cochin passenger trains were not restored on Shoranur-Calicut section due to poor patronisation. The existing services on Shoranur-Calicut section are considered adequate.

(6) To avoid detention to passenger trains for crossing goods trains.

(6) No passenger train is detained for crossing goods train. Occasional unscheduled crossings are however, unavoidable due to late running of some trains.

(7) To introduce shuttle service between Tirur and Calicut.

(7) No shuttle trains were running between Tirur and Calicut in the recent past. Introduction of proposed shuttle services is also not operationally feasible for lack of terminal facilities at Tirur.

(8) To enforce strict ticket checking in passenger trains.

(8) Ticket checking drives have been intensified.

रेल दुर्घटनाओं में हताहत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया जाना

3968. **श्री हरगोविन्द वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं मे हताहत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख). रेल दुर्घटनाओं में मारे गये रेल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रेलवे में नौकरी दी जाती है। जो घायल हो जाते हैं और आगे नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किये जाते हैं उनके आश्रितों के बारे में भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है।

प्रशिक्षु लिपिकों को खपाने के लिए पैनल

3969. **श्री नरसिंह यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षु लिपिकों को परीक्षा के लिये कितनी बार बुलाया गया था और क्या उन्हें यात्रा खर्च दिया गया था ;

(ख) क्या 26 जून, 1977 को बड़ौदा हाऊस में हुई परीक्षा मे अधिकारियो एवं उच्च परिवारों के उम्मीदवारों को नकल की सुविधा प्रदान की गई थी ;

(ग) क्या उन्होंने इस आशय की घोषणा की थी कि प्रशिक्षु लिपिकों को नियमित करने के लिये दो महीनो के भीतर एक पेनल तैयार किया जायेगा और यदि हां, तो पेनल तैयार न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रशिक्षु लिपिकों को प्रशिक्षण काल के दौरान प्रतिमास कितना वेतन दिया गय